न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद संख्या– M- 220 / 2016

धारा–107 दण्ड प्रक्रिया संहिता

बलभद्र दास .....प्रथम पक्ष

बनाम

रशियन दास वगैरह .....द्वितीय पक्ष

	आदेश
12-06-2017	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, तमाड़ के अप्राथमिकी संख्या–60 / 16, दिनांक–19 / 11 / 2016 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के तहत द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत उभय पक्षों के बीच कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रस्तुत वाद में दानों पक्षों की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गई है। दोनों पक्षों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खण्डन करते हुए एक दूसरे पर शांति भंग करने का आरोप लगाया है। यह वाद पूर्व से जमीन में हिस्सा बंटवारा को लेकर झगड़ा के कारण उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष गवाही– गवाह संख्या–01 (हीरा लाल दास)– ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि यह केस मेरा भाई बलबद्र द्वारा किया है, जमीन को लेकर केस किया है। दिनांक–19 / 10 / 2016 झगड़ा के समय गांव में था, मारपीट नहीं हुआ था, मारेंगे–पीटेगें हत्या कर देंगे बोलता था। गवाह संख्या–02 (बलभद्र दास)– ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि विवादित जमीन जो पैतृक है, संयुक्त है, विवादित जमीन का बंटवारा के लिए कहने पर एक पाई जमीन नहीं देने का धमकी देते हैं। गाली गलौज का तिथि–19 / 10 / 2016 है, जिस दिन गाली दिया उसी दिन हमने थाना में F.I.R. किया। द्वितीय पक्ष गवाही– गवाह सं०–01,(कुन्जु बाला)– ने अपने गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि उभय पक्ष के बीच कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ हैं मेरा खाना–पीना, देख–भाल छोटा बेटा (द्वितीय पक्ष) करता है। बलभद्र दास (प्रथम पक्ष) शुरू से ही बाहर में रहते हैं, बलभद्र दास संपत्ति में बराबर का हिस्सा पायेंगे, जमीन का कागजात मेरे पास है। गवाह सं०–02, (हीरालाल दास)– द्वारा अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया गया है कि यह केस मेरा भाई बलभद्र दस किया है। यह केस रशियन दास एवं संतोषी दास को किया है, जमीन को लेकर केस किया है, द्वितीय पक्ष के लोग प्रथम पक्ष को मारेगें पीटेंगे बोलता है, दिनांक–19 / 10 / 2016 को बोला है। मार–पीट नहीं हुआ था, मारेंगें पीटेगें हत्या कर देंगे बोलता था। उभय पक्ष के कारण पृच्छा, गवाहों की गवाही, विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद इस वाद से संबंधित कागजात एवं पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उभय पक्ष सहोदर भाई हैं एवं जमीन के बंटवारा को लेकर आपसी विवाद है जिसमें धारा 107

द०प्र०सं० के तहत कार्रवाई संभव नहीं है। उभय पक्ष के बीच हिंसा की कोई घटना घटित नहीं हुई है तथा उभय पक्ष वाद की कार्रवाई के दौरान शान्ति भंग होने के संभावना की पुष्टि नहीं कर पाए।

अतः वाद में बिना कोई प्रभावी आदेश पारित किए अभिलेख की कार्रवाई बन्द किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू।

12/6/17

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू।

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.16 14:00:01 +05:30
Location: 192.168.43.107